कार्यालय ग्राम पंचायत पंचायत समिति किशनगढ अजमेर

कमांकः–ग्रापति / 2024–25 /

दिनांक

सीमित निविदा सूचना

निम्नांकित संकम के सम्पादन हेतु पंचायत समिति किशनगढ मे रजिस्ट्र्ड फर्मो से निम्नांकित कार्यो के लिए सिमित निविदा आंमत्रित कि जाती है

क्र. स.	कार्य का नाम	अनु. लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	निविदा फार्म बेचने की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथी	फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने कि दिनांक
1	महात्मा गांधी राजकिय वि. करकेडी मे ओपन जीम स्थापना	2.50 लाख रू	5000	500 /–	दिनांक .... से .... तक	.... 11.00 AM बजे तक	.... 1.00 AM बजे

1. सीमित निविदा दिनांक .... को 1.00 AM बजे कय समिति द्वारा पंचायत समिति मे खोली जायेगी। विस्तृत सूचना, पंचायत समिति कार्यालय के http://sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती है एवं निविदा फार्म कार्यालय समय में ग्राम पंचायत खातोली से प्राप्त किये जा सकते है।
2. निविदा प्रपत्र फार्म शुल्क, तथा धरोहर राशि डी0डी0 / बैंकर चैक / नकद / बैक गारण्टी / के, ग्राम पंचायत .... के नाम व निर्धारित समयावधि तक ग्राम पंचायत कार्यालय .... मे भौतिक रूप सें जमा करवाना अनिवार्य है।

शर्ते :– सीमित निविदा फार्म के साथ समस्त शर्ते सलग्न है जो कि मान्य होगी।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेडी
पंचायत समिति, सिलोरा
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेडी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)
प्रशासक
ग्राम पंचायत

1. कमांकः–ग्रापखा / 2024–25 /

दिनांक

2. श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगढ।
3. कय समिति सदस्य सहायक अभियंता, लेखाधिकारी प्रथम पंचायत समिति किशनगढ को सूचनार्थ ।
4. http://sppp.rajasthan.gov.in व पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / ग्राम पंचायत ....।
6. सम्पादक को देकर .... लेख है कि राजकीय दरों पर प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेडी
पंचायत समिति, सिलोरा
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेडी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)
प्रशासक
ग्राम पंचायत

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT...............................
PANCHAYAT SAMITI KISHANGARH, AJMER
TECHNICAL BID FORM

1-	BID NUMBER	LIMITED TENDER
2-	NAME OF WORK	OPEN GYM INSTALLATION WORK IN GRAM PANCHAYAT..............
3	**DETAILS OF BIDDER FIRM** 1- NAME .... 2- ADDRESS .... 3- MOBILE NO. .... 4- EMAIL ID. .... 5- GST NUMBER .... 6- PAN NUMBER .... 7- AUTHORISATION OR DEALERSHIP REGISTRATION NUMBER .... 8- FIRM REGISTRATION NUMBER	
4	COST OF TENDER	2,50,000/- (TWOLAKH SIXTY THOUSANDRS ONLY

5	FEE DETAILS	AMOUNT	DD NO. &DATE	NAME OF BANK
TENDER FEES (IN FAVOUR OF OF GRAM PANCHAYAT............................)		500/-		
BID SECURITY (IN FAVOUR OF GRAM PANCHAYAT ....)		5000/-		

6	RUPEES 50/- NON JUDICIARY STAMP PAPER OF NON BLOOD RELATION OF ANY OFFICER / EMPLOYEE OF GRAM PANCHAYAT............... PANCHAYAT SAMITI KISHANGARH, NON DEBARD/BLACK LISTED OF FIRM BY ANY GOVERNMENT INSTITUTION.	
7	COPY OF GST CERTIFICATE, PAN CARD AND AADHAR CARD OF PROPRIETOR.	
8	ALL DOCUMENTS OF TENDER WITH ALL DECLARATIONS SHOULD BE SELF ATTESTED.	
9	ATTACHABLE DOCUMENTS :-	GST CERTIFICATE, PAN CARD COPY, TENDER FEES, BID SECURITY, RISL PROCESSING FEE, FIRM REGISTRATION, AUTHORISATION OR REGISTRATION AS DEALER OF ANY ISO CERTIFIED COMPANY FOR GYM SETUP/GYM EQUIPMENTS MANUFACTURING/SUPPLY/INSTALLATION, ALLAFFIDAVITS AND OTHER REQUIRED DOCUMENTS.

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

BIDDER SIGNATURE WITH SEAL

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT..............................
PANCHAYAT SAMITI KISHANGARH, AJMER

FINANCIAL BID FORM

BID NUMBER : -

WORK NAME: - OPEN GYM INSTALLATION WORK IN GRAM PANCHAYAT ....

FIRM NAME & ADDRESS :-

S.N.	PARTICULARS	ESTIMATED COST OF WORK AS PER "G" SCHEDULE)	RATE SHOULD BE QUOTED HERE IN EXCESS%/LESS % EQUAL FROM "G SCHEDULE/MODEL ESTIMATE AND IN RS. ALSO ":-
01.	OPEN GYM INSTALLATION WORK IN GRAM PANCHAYAT ------------------ (AS PER ATTCHED MODEL ESTIMATE)	2,50,000/-	....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

BIDDER SIGNATURE WITH SEAL

MOBILE NUMBER :-

Scanned with OKEN Scanner

बोली एवं संविदा की शर्तें :–

Important Instruction :- The law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" {hereinafter called the Act} and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "{hereinafter called the rules} under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bedding process. if there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. बोली पंजीकृत फर्म कम्पनी संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए, इस तथ्य का प्रमाणिक अभिलेख बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हे। बोली स्वीकृति के बाद फर्म के संविधा में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करें, तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। बोलीदाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोलीदाता अपनी बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।

4- विभाग के पत्रों की गोपनियता की जिम्मेदारी बोलीदाता की फर्म को होगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रपत्र की अतिरिक्त प्रति नहीं करें। यदि किसी प्रपत्र की गोपनियता भंग होती है तो फर्म की बोली स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध आरटीपी एक्ट–2013 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

5. ई–टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

अ इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साइट http://www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ब निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय पर निविदा सूचना के अनुसार खोली जावेगी।

स निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्ण निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों को कार्यालय ग्राम पंचायत में जमा कराने होगें।

द कोई भी टेण्डर जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।

य टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑनलाइन दर्ज करें।

6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी। अर्थात :–

क जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करना है।

प्रशासक ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति किशनगढ़

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति, सिलोरा

ख जब बोली लगाने वाला प्रदाय/सकर्म आदेश देने के पश्चात् विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हों, का निष्पादन नहीं करता है।

ग जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

घ जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

ड़ यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विर्निदिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

घ सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):-
बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की बोली कालावधि सामान्यतया 90 दिनों से अधिक नहीं होगी।

8. अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत बोलीदाता से जो भी वसूली बनती है, उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली बोलीदाता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमांग अधिनियम वसूली 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

9. बोलीदाता को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर से रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

10. बिड की शर्तों में सन्देह की स्थिति में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम एवं RTPP Act & RTPP Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे।

11. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियम अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

12. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) रू. न्यूनतम बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में आदेश की रकम की 5प्रतिशतथिकार्य **निविदा के मामलो म**10%होगी। कार्य सम्पदन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जावेगी।

1 किसी अनुसूचित बैंक का बैंक डा ट या बैंकर चैक

2 कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 180 दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

प्रशासक ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़ (अजमेर)

12.कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security) रू. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।

1 जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2 जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।

3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति, सिलोरा

13.करार का निष्पादन (Execution of agreement)

1 सफल बोली लगाने वाले को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 10 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

2 यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

3 बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर नियमानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादन करना होगा।

4 करार पत्र को करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

14. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) :– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति

1 उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रतिभावित करने की एवज में किसी रिश्वत इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

2 सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लौप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता होगा।

3 उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

4 उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

5 उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

6 उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

7 हित का विरोध, यदि कोई हो प्रकट करेगा।

8 पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व निमयभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विजन को प्रकट करेगा।

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेडी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

15. हित का विरोध (Conflict of interest) :–

1 किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गयाहै, जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति

2 कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा, जिसमें निम्नलिखित स्थितिया सम्मिलित है, किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि :–

क उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

ख वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

ग उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

घ उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता है,

ङ कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है, तथापि यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है, जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं या

च बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों में बोली प्रक्रिया की उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है।

16.बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा का भंग :– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप धारा 3 और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।

17.अपील का प्रारूप :–

1 धारा 38 की उप–धारा 1 या 4 के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी, जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

2 प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

3 प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्री त डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी

18.अपील फाईल करने के लिए फीस :–

1 प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

2 फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्रा ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

19.अपील के निपटारे की प्रक्रिया :–

1 प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ–पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करना और सुनवाई की तारीख नियत करना।

2 सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी:–

उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करना और

मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना।

3 पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करना और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

4 उप-नियम 3 के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

20.विवाद की स्थिति में उक्त पंचायत समिति क्रय के मेटेरियल हो निर्णय अन्तिम होगा व बोलीदाता को मान्य होगा।

21.Mode of Payment: 1 भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित आकार में सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल 2 प्रतियों में निष्पादन होना तथा बिल पर GST No. मुद्रित होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

22. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
23. समस्त कार्य की गारण्टी/वारण्टी न्यूनतम 2 वर्ष की होगी।
24. बोलीदाता को श्रम रेगुलेशन एवं एबोलिएशन एक्ट 1970 एवं 1971 की पालना करनी होगी।
25. रिस्क एण्ड कोस्ट : संवेदक द्वारा कार्य निष्पादन हेतु किये गये करार अनुबंध की शर्त अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने, कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं होने, निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में `ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि रिस्क एण्ड कोस्ट की शास्ति पर उक्त कार्य किसी अन्य माध्यक से संवेदक की रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य विकल्प जिसमें बाजार दर भी सम्मिलित होगा, आधार पर कार्य अनुबंध समाप्त कर वैकल्पिक माध्यम से कार्य पूर्ण करा सकें।
26. संवेदक को भुगतान नियमानुसार कटौति करते हुए बजट उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
27. कार्य/सेवाओं के दौरान जानमाल के नुकसान की ज़िम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। सुरक्षा के पूर्ण उपाय नियमानुसार बोलीदाता द्वारा करने होंगे।
28. अन्य समस्त शर्तें सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जारी होने वाले दिशा निर्देश, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम–2012 एवं 2013 के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी होंगे।

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन डाउनलोड करके भरने की अवधि निविदा के अनुसार होगी।
2. निविदा शुल्क का डी.डी. ग्राम पंचायत ....के नाम देय होगी।
3. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी, जो कि ग्राम पंचायत ....के नाम देय होगी।
4. अ निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की दर तुलनात्मक विवरण तक प्रक्रिया ऑफलाइन होगी।

   ब निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदा नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
5. कार्य क्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत होगा।
6. कार्यों के सम्मुख उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यालय में संवेदक/प्रतिष्ठानों द्वारा http://www.SPPP.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता प्लान स्पेसिफिकेशन, डाइंग विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं।
8. जिस फर्म की दरें स्वीकृत की जावेगी उसे नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। जिसका व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा एवं अनुमानित लागत की राशि 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि (Secucity Deposit) के रूप में संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करानी होगी।
9. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं कर सकेगा।
11. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत जब्त किया जावेगा।

    अ जब निविदा/संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

    ब जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो।

    स प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
13. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
14. कार्यों के सुचारू कियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
15. संवेदक द्वारा निविदा में दी गई दर बी.एस.आर. दर से 10 प्रतिशत से कम पायी जाती है तो कार्य की अनुमानित लागत के अनुसार जितने प्रतिशत टेण्डर प्रीमियम कम है, उसकी अन्तर राशि, अनुबंध के समय अतिरिक्त प्रतिभूति (Security Deposit) के साथ जमा करवानी होगी।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र .... होगा।
17. निविदाद्वारा ई–ग्रास के माध्यम से निर्धारित प्रासेसेसिंग शुल्क 500/– का बजट मद 8658–00–102–16–01 सिविल मद में जमा कराना होगा।
18. जीएसटी चूकता प्रमाण–पत्र :– कोई भी निविदादाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा देय नहीं होगा। जीएसटी पंजीयन संख्या के साथ गत वर्ष का जीएसटी चुकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

प्रशासक ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति ...

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति ...

Scanned with OKEN Scanner

19. दरें गंतव्य स्थान तक, बीएसआर/जी–शिड्यूल में उल्लेखानुसार नियत दूरी जिसकी लीड दरों में शामिल है, एफ.ओ.आर. उद्दत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए।

20. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

21. विनिर्देश :–(i) प्रयुक्त की गई सभी सामग्री निविदा में निर्धारित विनिर्देश, टेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। ;पपद्ध वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित मानकों के ठीप अनुरूप होगा तथा वह अन्य सामग्रियों के मामले में, जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हों, वहां अत्युतम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा।

22. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

23. अस्वीकृत सामग्री को निविदादाता इस आशय की सूचना प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

25. (i) सुपुर्दगी की अवधि :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 7 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) यदि कार्यकारी संस्था किन्हीं निविदत्त कार्यों को नहीं कराता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सम्पादित कराता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

26. पंचायत समिति अपनी आवश्यकतानुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से निर्धारित विशिष्टता (Specification) की सामग्री निर्धारित दरों पर कय कर सकेगी। ग्राम पंचायत कय की गई सामग्री की प्राप्ति, साइट के लिए जारी करना तथा मौके पर इस्तेमाल की गई सामग्री आदि का लेखा–जोखा रखेगा।

प्रशासक ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़ (अजमेर)

27. बयाना राशि :– क बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटाई जायेगी। ख केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकमों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

28. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा।

29. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, जीएसटी, रॉयल्टी एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कटौतियां की जावेगी। यदि फर्म द्वारा रॉयल्टी का भुगतान कर दिया है तो बिल के साथ रसीद की प्रति/फर्म के लेटर पेड पर रॉयल्टी चुकता प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करकेड़ी पंचायत समिति किशनगढ़

30. किसी भी तरह की मशीनरी जैसे मिक्सर, रोलर, वाइब्रेटर आदि समस्त की चौकीदारी की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

31. भुगतान :–(i) किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा। (ii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

Scanned with OKEN Scanner

आपूर्तित सामग्री का केता अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षण कराया जा सकेगा। परीक्षण शुल्क केता अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

32. सफल निविदादाता को आदेश देने की तिथि से 7 दिवस के भीतर आपूर्ति करनी होगी।

33. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप से समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा। (ii) परिसमापित नुकसानी :– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :–

1 क विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2½%

ख एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5%

ग आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½%

घ विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

2 प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

3 परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4 यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5 यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से पूरे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

34. वसूलियां :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोक जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढ़ंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

35. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप से कार्रवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

प्रशासक ग्राम पंचायत कस्बा ... पंचायत समिति किशनगढ़ ...

36. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ सोल आर्बिटेटर के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ... पंचायत समिति ...

37. निविदा प्रकिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदाकर्मियों के परिजन निविदा में भाग नहीं लेने व खून का कोई रिश्तेदार नहीं होने का 50/– रु. का शपथ–पत्र।

38. अन्य समस्त शर्तें सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों, प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग महात्मा गांधी नरेगा जयपुर से जारी वित्त एवं लेखा

Scanned with OKEN Scanner

नियम आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में उल्लेखित कय नियम एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

39. किसी भी विभाग द्वारा फर्म/संस्था को बोली लगाने के लिए ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, का 50 रु. का शपथ–पत्र संलग्न करें।

40. निविदा में भाग लेने वाली फर्म का कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जा सकताहै एवं कमेटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ही फर्म को आदेश दिया जाएगा।

41. आपके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सूचना असत्य पायी जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

42. लिफाफे पर नाम/पता/मो. नम्बर एवं निविदा का विवरण दर्ज हो, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूं

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

हस्ताक्षर संवेदक मय सील
मोबाइल नं.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 'A'

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the construction works/material supply work.......................... work at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department,

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc, and the instructions issued by the Department from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid;

1. DD/BC/BG bearing No...............................Dt............................for Rs................/- {............................} drawn on.. on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that the bidder has no post or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilanve and enforcement Deptt. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or representatives were never blacklisted the Central Government/any State Court of law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present address of the partners in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN&GST up to date.

I/We hereby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Documents, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date :-

Place :-

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

Signature of bidder

Name :

Address:

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 'B'

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders issued by Sarpanch Gram Panchayat/panchayat samiti ....from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5% on the total value of the work/supply amount at Panchayat Samiti, ...within ten (10) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement, I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within Ten (10) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department in liable to be forfeited, award of material supply amount at various Gram Panchayat or Panchayat Samiti, ...contact stand cancelled besides blacklisting me/us.

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पंचायत समिति, सिलोरा

SIGNATURE OF BIDDER

NAME:

ADDRESS:

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 'C'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to Sarpanch Gram Panchayat................................ /Panchayat Samiti.......................... for construction of works / material supply work at Gram Panchayat in response to Notice Inviting Bid No. .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparancy in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter Into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of Interest as specified in The Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date :-

Place :-

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति, सिलोरा

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 'D'

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender
(To be Furnish by the bidder on Rs. 50/- NJS duly attested by Notary)

Bidder name...

I/We confirm that I/we are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable) I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & condition as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Conditions wherever indicated offer validity terms of delivery without any deviations whatsoever.

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization, and also certify that I/we have not worked Supply of Material/below the quoted rate in agreement period.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We certified that no directly or indirectly relation by blood or marriage to any officer /employee of the office /department /organization inviting this tender .

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी

Name of Bidder with Signature and Seal

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय पंचायत .... पंचायत समिति ....,जिला–........

G-SCHEDULE

कार्य का नाम					
ग्राम		ग्राम पंचायत		पं.स.	
Work code		प्रशासनिक स्वीकृति			
तकनीकी स्वीकृति		प्रशासनिक स्वीकृति			
स्वीकृत राशि		अनुमानित अवधि			

S.No.	BSR Ref.	Particulars of item	Qty.	Rate	Unit	Amount
1	Non BSR. MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS JAIPUR APPORVED RATE PRD LATTER DATE 16-04-2025	Pull Chair/Push chair 1.Providing and fixing of Pull Chair/Push chair of size not less than Dimension (LxWxH): 1800 x 700 x 1800 mm. 2.The main structure frame shall be made from Fabricated with main post of NB 100mm (G.I.) 'B' Class Pipe of approved make. 3. Seat main frame of NB 50mm (G.I.) 'B' Class Pipe, Pipe connecting main post with handle frame of NB 65mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 4. Handle frame of NB 32mm and NB 25mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 5. All Pipes are powder coated with 80-120 micron thick AkzoNobel or equivalent Paints. 6. All joints of pipe are robotic welded with joints scalloped as necessary and dressed off removing sharp edges and burrs. 7. Zinc primer paint is applied at all the welding points prior to finishing. 8.Handle bars are provided with high end quality rubber grips. 9. Base plate cover made of virgin LLDPE plastic by rotational molding with 4.00mm thickness, UV resistant and colored. 10. Seat to be made up from virgin LLDPE manufactured by rotational molding with 4.00 mm thickness, colored, UV resistant and environmental friendly. 11. Maintenance free bearings of SKF or equivalent make duly oil sealed and self-lubricated are used in the equipment manufactured. 12. The equipment are fitted with inbuilt limiters to prevent unwanted movements. 13. The equipment is fixed on ground with concrete of minimum strength M-25 and J shaped welded bolts of 18mm thickness. 14. Once the concrete is set, the equipment is fixed on to it and nuts and bolts are covered with base plate cover. 15. High tensile steel with galvanized nut bolts are used for assembly. 16. Equipment made to EN16630 & DIN 79000 International standard for outdoor fitness equipment. 17. Self-Explanatory stainless steel label fixed on equipment for ease of use. 18. Pipe and sheet components should be cut by laser machine having CNC made components welded with robotic welding. Pull Chair: Developing the strength of upper limbs and the muscle groups of shoulder region and back; improving the agility and flexibility, coordination of shoulder joints and elbows. Good for healing aches in joints and the bending and stretching hindrances of joints. Push Chair: Developing strength of upper limbs, chest and muscle groups of shoulder and back; improving the flexibility and stability of shoulder joints and elbows. Good for healing the bending and stretching hindrances of shoulder joints and elbows, muscular atrophy, frozen shoulder, tennis elbows, etc cement concrete to hold the whole structure,under the directions of Engineer-in-charge to fullfil the functional requirement.	1	57700	1	57700
2	Non BSR.	3 in 1 Combination of Sit Up / Standing Twister / Arm Wheel1.Providing	1	80700	1	80700

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

Scanned with OKEN Scanner

	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS JAIPUR APPORVED RATE PRD LATTER DATE 16-04-2025	and fixing of Pull Chair/Push chair of size not less than Dimension (LxWxH): 1500 x 2200 x 1050 mm. 2. The main structure frame shall be made from 'Fabricated with main post of nominal bore 100mm (G.I.) 'B' Class Pipe of approved make. 3. For Arm Wheel: Wheel frame of NB 32mm with connecting spokes of NB 25mm, Pipe connecting main pilar with wheel frame of NB 50mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 4. For Twister: Handle Main frame of NB 32mm & spokes of NB 25mm (G.I.) 'B' Class Pipe. Perforated MS Sheet for Back Support. 5. For Sit Up: Main frame of NB 25mm & Leg support of NB 65mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 6. All Pipes shall be powder coated with 80-120 micron thick AkzoNobel or equivalent Paints. 7. All joints of pipe shall be robotic welded with joints scalloped as necessary and dressed off emoving sharp edges and burrs. 8. Zinc primer paint shall be applied at all the welding points prior to finishing. 9. Base plate cover made of virgin LLDPE plastic by rotational moulding with 4.00mm thickness, UV resistant and coloured. 10. Maintenance free bearings of SKF or equivalent make duly oil sealed and self-lubricated shall be used in the equipment manufactured. 11. The equipment shall be fixed on ground with concrete of minimum strength M-20 and J shaped welded bolts made of 18mm thickness. 12. Once the concrete is set, the equipment is fixed on to it and nuts and bolts are covered with base plate cover. 13. High tensile steel with galvanized nut bolts shall be used for assembly. 14. Equipment made to EN16630 & DIN79000 International standard for outdoor fitness equipment. 15. Self-Explanatory stainless steel label shall be fixed on equipment for ease of use. 16. Pipe and sheet components should be cut by laser machine having CNC made components welded with robotic welding.Twister: Developing strengthens of lumbar and abdominal muscles, improving the flexibility and agility of spine and hip joints, and shaping figure. It can relax lumbar muscles and improve the blood and Qi circulation, strengthen the ability of waist and kidney when you rotate waist to a large extent.Sit up Bench: Building up the muscular strength of abdomen, waist and back, and to relax the fatigue of the waist and back muscles. Arm Wheel: Building up the muscles of upper limbs, and enhancing the flexibility and agility of shoulder joint.					
3	Non BSR MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS JAIPUR APPORVED RATE PRD LATTER DATE 16-04-2025	Leg press /Exercising Bar 1.Providing and fixing of Leg press /Exercising Bar of size not less than Dimension (LxWxH): 1900 x 550 x 1750 mm. 2. Fabricated with main post of nominal bore 100mm (G.I.) 'B' Class Pipe of approved make. 3. Leg Press Seat Main frame of NB 50mm (G.I.) 'B' Class Pipe and Pipe connecting main post to seat main frame of NB 65mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 4. Main frame for Exercising Bar of NB 32mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 5. All Pipes shall be powder coated with 80-120 micron thick AkzoNobel or equivalent Paints. 6. All joints of pipe shall be robotic welded with joints scalloped as necessary and dressed off emoving sharp edges and burrs 7. Zinc primer paint shall be applied at all the welding points prior to finishing. 8. Base plate cover made of virgin LLDPE plastic by rotational moulding with 4.00mm thickness, UV resistant and coloured. 9. Foothold for Leg Press made of nominal bore 50mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 10. Seats made up from virgin LLDPE manufactured by rotational moulding with 4.00 mm thickness, coloured, UV resistant and environmental friendly. 11.	1	46450	1	46450

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

Scanned with OKEN Scanner

		Maintenance free bearings of SKF or equivalent make duly oil sealed and Iself-lubricated shall be used in the equipment manufactured. 12. The equipment shall be fitted with inbuilt limiters to prevent unwanted movements. 13. The equipment shall be fixed on ground with concrete of minimum strength M-20 and J shaped welded bolts made of 18mm thickness. 14. Once the concrete is set, the equipment is fixed on to it and nuts and bolts are covered with base plate cover. 15. High tensile steel with galvanized nut bolts shall be used for assembly. 16. Equipment made to EN16630 & DIN 79000 International standard for outdoor fitness equipment. 17. Self-Explanatory stainless steel label shall be fixed on equipment for ease of use. 18. Pipe and sheet components should be cut by laser machine having CNC made components welded with robotic welding. Exercise Bar: Developing upper limbs, shoulders and chest strength, and improving the cardio-pulmonary function.Leg Press: strength of lower limbs, and improving the stability and agility of the three main joints of lower limbs. Good for the healing Developing the of muscle atrophy of lower limbs, rheumatoid arthritis, sciatica, sprain of the anklebone etc. without the inconvenience of bending and stretching the lower limbs.				
4	Non BSR. MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS JAIPUR APPORVED RATE PRD LATTER DATE 16-04-2025	Horse Rider / Air Swing 1.Providing and fixing of Horse Rider / Air Swing of size not less than Dimensions (LxWxH): 1500 x 900 x 1100 mm. 2. Fabricated with main post of NB 100mm (G.I.) 'B' Class Pipe of approved make 3. Horse Rider Main frame of NB 65mm (G.I.) 'B' Class Pipe, Handle support frame of NB 50mm and other pipes of NB 32mm & NB 25mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 4. Air Swing Leg Support frame of NB 50mm (G.I.) 'B' Class Pipe, Handle support frame of NB 32mm & NB 25mm (G.I.) 'B' Class Pipe. (NB' stands for Nominal Bore i.e., Internal Diameter of pipe in millimeters) 5. All Pipes are powder coated with 80-120 micron thick AkzoNobel or equivalent Paints. 6. All joints of pipe are robotic welded with joints scalloped as necessary and dressed off removing sharp edges and burrs. 7. Zinc primer paint is applied at all the welding points prior to finishing. 8. Base plate cover made of virgin LLDPE plastic by rotational molding with 4.00mm thickness, UV resistant and colored. 9. Foothold for Horse Rider made of NB 32mm (G.I.) 'B' Class Pipe. 10. Foothold for Air Swing made of MS Sheet Metal with rounded edges to prevent impact and injury. Seat to be made up from virgin LLDPE manufactured by rotational molding with 4.00 mm thickness, colored, UV resistant and environmental friendly. 11. Maintenance free bearings of SKF or equivalent make duly oil sealed and self-lubricated are used in the equipment manufactured. 12. The equipment are fitted with inbuilt limiters to prevent unwanted movements. 13. The equipment is fixed on ground with concrete of minimum strength M-25 and J shaped welded bolts of 18mm thickness. 14. Once the concrete is set, the equipment is fixed on to it and nuts and bolts are covered with base plate cover. 15. High tensile steel with galvanized nut bolts are used for assembly. 16. Equipment made to EN16630 & DIN 79000 International standard for outdoor fitness equipment. 17. Self-Explanatory stainless steel label fixed on equipment for ease of use. 18. Pipe and sheet components should be cut by laser machine having CNC made components welded with robotic welding. Horse Rider: Strengthening cardiac and pneumonic function, enable full	1	38600	1	38600

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

		movement of limbs, and building up the strength of legs and chest muscles. Air Swing: By swinging both legs together from side to side, use of strengthens and equipment develops the lower abdomen hips and thighs, improves balance and co-ordination through "core" activation.				
		Basic Amount of Equipment	223450			
		TAX 18% GST	40221			
		TOTAL AMOUNT	263671			
		LESS	13671			
		TOTAL AMOUNT OF WORK	250000			
		GROSS AMOUNT OF WORK	250000			

प्रशासक/सरपंच
ग्राम पंचायत ....

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

सहायक लेखाधिकारी
ग्राम पंचायत ....

सहायक अभियंता
पं.स.किशनगढ़

I/ We agree to execute the above work @...............................% above/ below

the G Schedule rates Contractor.

FILL RATE---

प्रशासक
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति किशनगढ़(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत करकेड़ी
पंचायत समिति, सिलोरा

Signature of the
Bidder with seal

Scanned with OKEN Scanner

...य पंचायत समिति-किशनगढ़ (सिलोरा) , जिला परिषद् - अजमेर

वितीय स्वीकृति
(नये कार्यो के लिए)

वितीय स्वीकृति संख्या व वर्ष :FS/2026-2027/1968 दिनांक :22/05/2026

निम्नलिखित कार्यो की वितीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की राशि निम्नानुसार हस्थान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

योजना का नाम : राज्य वित आयोग सप्तम

कार्य कोड नम्बर :Work/2026-2027/4248

कार्यकारी एजेंसी : ग्राम पंचायत - करकेड़ी

पेमेंट एजेंसी :पंचायत समिति - किशनगढ (सिलोरा)

कार्यस्थल : करकेड़ी

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत					प्रथम किश्त राशि (रुपये में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या व वर्ष	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या व वर्ष	कार्य पूर्ण होने की अनु.अवधि
			उपकरण की लागत (रुपये में)	सामग्री की लागत (रुपये में)	मजदूर की लागत (रुपये में)	अन्य लागत (रुपये में)	कुल लागत (रुपये में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	महात मा गांधी राजकीय विधालय करकेडी ऑपन जिम स्थापना	करकेड़ी	0.00	250000.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	TS/2026-2027/2145	AS/2026-2027/2899	6 महीनें 10 दिन

योजना वार फंड विवरण : राज्य वित आयोग सप्तम(250000.00

शर्त 6 / रिमार्क : ok

उपरोक्त कार्य के क्रियान्वन हेतु निम्न शर्तो का पालन किया जावेगा-

1. कार्य तकनिकी स्वीकृति के अनुसार की किया जावेगा।
2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका (GKN) में निर्दिष्ट मापदंडो एवं व्यवस्थाओ की पालना करते हुए ही कार्य का सम्पादनं कार्य किया जायेगा।
3. यदि कार्य के निष्पादन में अप्रत्याशित विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती हैं तो इस वृद्धि के लिए कारकरी संस्था खुद उतरदायी होगी।
4. यदि कार्य विभिन्न योजनाओं के साथ डवटेल किया जाता हैं तो योजनावार राशि को प्रथक-प्रथक दिखाना होगा।
5. कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अंत में अधोहस्ताक्षरकर्ता को योजना के निधारित प्रारूप में अवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

REKHAMEENAJAIPUR809

विकास अधिकारी (पंचायत समिति)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner